

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / बारां / 2010

जयपुर, दिनांक :



24 SEP 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
बारां एवं उदयपुर।

विषय :— बारां जिले में निवासरत “सहरिया एवं खैरुआ” जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बारां जिले में निवासरत “सहरिया एवं खैरुआ” जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत “कथौड़ी” जनजाति परिवारों को वित्तीय वर्ष 2014–15 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात नियमानुसार रोजगार की मॉग किये जाने पर 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से अर्थात कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराया जावे। 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के लिए कृपया नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने का श्रम करावे :—

- उक्त अतिरिक्त रोजगार के लिए मर्स्टररोल नरेगा सॉफ्ट से जारी की जायेगी।
- जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 100 दिवस का यह अतिरिक्त रोजगार केवल उक्त वर्षित परिवारों को ही उपलब्ध कराया जाना है एवं अन्य परिवारों को योजनान्तर्गत नियमानुसार 100 दिवस का रोजगार ही दिया जाना है।
- 100 दिवस से अधिक रोजगार की सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभाग को ई-मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 101403718 दिनांक 23.9.2014 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(राजीव सिंह ठाकुर)
आयुक्त, ईजीएस एवं शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां एवं उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

परिनिदेश एवं उप सचिव, ईजीएस